

न्यायालय का नोटिस

(झारखंड उच्च न्यायालय के सिविल न्यायालय नियमों के नियम 80 D के अंतर्गत)

सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II, मधुपुर की अदालत में

मूल वाद संख्या 189/2017

प्रवीण बिलोटिया और सरिता टेकरीवाला

....

.....

वादीगन

बनाम

सुभाष चौधरी और अन्य अपने एलआर के माध्यम से

....

.....

प्रतिवादीगन

सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वाद संपत्ति अर्थात

अनुसूची - I

जमीन का वह टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल लगभग 31 डेसिमल है सेट्टलमेंट प्लॉट संख्या 183 में, तथा 5 एकड़ 07 डेसिमल सेट्टलमेंट प्लॉट संख्या 184 में, अर्थात कुल क्षेत्रफल 5 (पांच) एकड़ 38 (अड़तीस) डेसिमल है, जिसकी जमाबंदी संख्या 19/1, मौजा धमना में, थाना संख्या 219 में, तथा उसके एक भाग पर एक मंजिला आवासीय मकान, मधुपुर नगर पालिका के अंतर्गत, थाना मधुपुर, अनुमंडल-मधुपुर (पूर्व में देवघर), जिला-देवघर (पूर्व में संथाल परगना), राज्य-झारखंड।

अनुसूची - II

जमीन का वह टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल लगभग चार बीघा अठारह कट्ठा उन्नीस गुंठा है, जिसकी जमाबंदी संख्या 52 है, मौजा-धमना में, थाना संख्या 219 में, थाना - मधुपुर, अनुमंडल- मधुपुर (पूर्व में देवघर), जिला- देवघर (पूर्व में संथाल परगना), राज्य- झारखंड।

मुकदमे वाली संपत्ति को 'धमना-हाउस' के नाम से जाना जाता है।

मुकदमे वाली संपत्ति इस प्रकार से सीमाबद्ध है:

उत्तर: प्लॉट जो बुलाल मियां और अन्य का।

दाखिन : प्लॉट जो कसमाली मियां और अन्य का।

पूर्व : सड़क और पूर्वी भारत रेलवे लाइन।

पश्चिम: प्लॉट जो भीका मियां और अन्य का।

वादीगन द्वारा प्रतिवादीगन के विरुद्ध दायर मूल वाद संख्या 189/2017 का विषय है। एतद्वारा सूचित किया जाता है:- जिस किसी के पास कोई अधिकार, स्वामित्व, और / या कब्जे का कोई दावा है, वह सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II, मधुपुर की अदालत में 29/9/20 तारीख तक उनके समक्ष आपत्ति उठा सकते हैं। यदि इस तारीख तक आपत्ति नहीं उठाई जाती है, तो किसी के द्वारा बाद में किए गए किसी भी दावे के संबंध में कोई आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II,

सिविल कोर्ट, मधुपुर।

D. S. 189/17

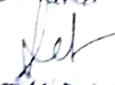
Schedule XLII - No. (J) 9a [Old (M) 164]

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	07-7-2026	Both parties are represented through D. Counsels. Case is moved, heard D. Counsels and perused the case record. Plaintiff is directed to deposit the Nazir cost ~~as~~ as report submitted by Nazir, Subdivisional Civil Court, Madhupur. Put up on 24-8-2026 for compliance.	dictated [Signature] CJSB-1
	24/08/26	Plaintiff is represented through Counsel. Defendants are absent. Plaintiff has deposited Nazir cost worth Rs. 3410/- vide P.C.R. No. 155 dated 24/08/26 and Process Server cost worth Rs. 3610/- vide P.C.R. No. 156 dated 24/08/26 and has filed the P.C.R. Requisites of Pubac notice has also been filed on behalf of plaintiff. Secm. Office is directed to issue notice accordingly and send a notice to the Court Manager, Civil Court, Deoghar for publication of notice in Website of Deoghar Judiciary and also make available to the plaintiff for publication.	Continued

Continued
24/05/26

publication of it in Newspaper. Nazir is directed to affix the printed board on the site in question. Office is further directed to send a copy of this order to the Nazir for necessary compliance. Put up the record on 29/09/2026.

Decided


C. J. (Srdm) II